न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

दावा संख्या–209/17

उनवान

जगदीश बनाम सीताराम

दावा बाबत् तकास्मा

दिनांकः–02.05.2019

अधिवक्ता वादीः– एन.के. शर्मा

अधिवक्ता प्रतिवादीः– वी.के. चौधरी

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार पीपलू से दिनांक 25.10.2018 को चाही गई तकास्मा रिपोर्ट दिनांक 11.04.2019 को दो–दो प्रतियों में पेश की जा चुकी है। जो फाईल शुमार हैं।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में लोकअदालत में भी पक्षकारान ने तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने में सहमति जताई हैं। तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वादी का उक्त भूमि के खाता संख्या 29 में 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 115 में 1/2 हिस्सा हैं। जिस पर वह काबिज हैं। तकास्मा अनुसार वादी के हिस्से का तकास्मा अमल में लाया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी हैं। आज न्यायालय में पक्षकारान् के अधिवक्ता उपस्थित हैं। जिन्होनें ने तकास्मा रिपोर्ट के अनुसार वाद डिक्री किये जाने की सहमति दी हैं।

अतः दावा बाबत् तकास्मा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग हैं। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)